तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/08/19	वकलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार बंटवारा प्रस्ताव पत्रावली दिनांक 15/08/19 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर सीकर	
16/08/19	वकलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार, फतेहपुर से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। बंटवारा प्रस्तावानुसार उभय पक्ष सहमत हैं बाबत निर्णय पत्रावली दिनांक 21/08/19 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर सीकर	
21/08/19	वकलाय फरीकैन उपस्थित। बहस वकलाय फरीकैन सुनी गयी। निर्णय पृथक से लिखा जाकर ~~पत्र~~ शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल [illegible] बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। Sd/- (रेनू मीणा) उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर सीकर	

Web Copy Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 34/2019

1. कुन्दन सिंह
2. जगदीश सिंह पुत्रगण इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.....वादीगण

बनाम

1. तेजपाल सिंह
2. श्रीराम सिंह
   पुत्रगण स्व0 इन्द्र सिंह
3. सुरज कंवर पत्नी स्व0 इन्द्र सिंह
4. मनोहर सिंह
5. बिशन सिंह
6. कालू सिंह
   पुत्रगण स्व0 रामकुमार सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम डाबड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर
7. कमला देवी
8. ज्योति
9. संतोष
   पुत्रियां स्व0 अन्ना
10. उच्छव पत्नी स्व0 संतरा
11. तेजपाल
12. प्रकाश
13. कालूराम
14. मुकेश कुमार
    पुत्रगण स्व0 संतरा
15. रूकमणी पत्नी स्व0 आनन्दीलाल
16. सुरेश पुत्र स्व0 आनन्दीलाल
17. गिन्नीलाल पुत्र स्व0 दुर्गा
18. घनश्याम पुत्र स्व0 पालीराम
    समस्त जाति ठठेरा निवासी मण्डावा जिला झुन्झुनू
19. तहसीलदार फतेहपुर
20. हल्का पटवारी दीनवालाडखानी

––प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता
श्री मुकेश भातरा – वादी
श्री मो. सलीम गौरी– प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः—21.08.2019

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम डाबड़ी पटवार हल्का दीनवा लाडखानी की तन में भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 3.5800है., खसरा नम्बर 199 रकबा 0.7500है., खसरा नम्बर 339 रकबा 1.1400है., खसरा नम्बर 343 रकबा 1.0200है. कुल किता 4 रकबा 6.4900है. एवं खसरा नम्बर 142 रकबा 3.7200है. अवस्थित है।

प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 143, 199, 339, 343 वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पूर्वजों के कब्जे, काश्त, खातेदार अधिकार की भूमियां है एवं खसरा नम्बर 142 में 1.24 भूमि भाग वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पूर्वज स्व0 इन्द्र सिंह द्वारा खरीदशुदा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पूर्वज इन्द्र सिंह एवं उनकी पत्नी सलाब कंवर का स्वर्गवास हो चुका है। इस प्रकार प्रश्नगत आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को स्व0 इन्द्र सिंह के स्वर्गवास के पश्चात विरासतन प्राप्तशुदा है।

प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 339 व 343 मौके पर एक दूसरे के सटकर अर्थात एक इकाई में है। इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 142 का 1.24है. भूमि भाग व 143 मौके पर सींवाजोड़ है। प्रश्नगत भूमि भाग खसरा नम्बर 142 का 1.24है.भूमि भाग खसरा नम्बर 143 के उत्तरी तरफ अवस्थित है अर्थात खसरा नम्बर 143 व 142 का उक्त 1.24है. भूमि भाग पर मौके पर खसरा नम्बर 339 व 343 की तरह एक इकाई में है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1,2 एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 के पूर्वज द्वारा प्रश्नगत उक्त आराजीयात का वर्षों पूर्व आपसी सहमति के बाहमी विभाजन से कर लिया गया तथा उक्त आपसी सहमति के बाहमी विभाजन में गांव से लगती प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 339 व 343 समभाग में वादीगण को प्राप्त हुई तथा भूमि खसरा नम्बर 143 व 142 के 1.2400है. सम्मिलित भूमि भाग में से अनुमानित 1.8600है. पश्चिमी तरफ का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 तेजपाल सिंह को व पूर्वी तरफ का अनुमानित 1.8600है. भूमि भाग प्रतिवादी संख्या 2 श्रीराम सिंह को प्राप्त हुए। इसी प्रकार उक्त बाहमी विभाजन में उत्तरी तरफ अवस्थित खसरा नम्बर 142 का 1.1066है. भूमि भाग व खसरा नम्बर 199 की सम्पूर्ण अर्थात दोनो खसरा नम्बरान की 1.8566है. भूमि भाग प्रतिवादीगण संख्या 3 लगात 6 को पूर्वज रामकुमार सिंह को प्राप्त हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादीगण कदीम से प्रश्नगत भूमियों में इसी बाहमी विभाजन के अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार चले आ रहे है।

प्रश्नगत आराजीयात पैत्रिक अविभाजित चली आ रही है। प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 339 व 343 का रकबा अन्य हिस्सेदारों को प्राप्त हिस्से से कम है, लेकिन गांव के समीप होने से वादीगण को कम हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसाका कोई विपरित प्रभाव भूमियां पैत्रिक होने से नहीं है। प्रश्नगत भूमियों का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस (माप व सीमांकन के आधार पर कानूनी) विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन के अभाव में भविष्य में उक्त आपसी सहमति से हुए बाहमी विभाजन को लेकर वाद विवाद उतपन्न होने की संभावना है।

इस कारण वादीगण प्रश्नगत आराजीयात का उक्त बाहमी विभाजन अनुसार कानूनी बंटवारा करवाकर पृथक–पृथक हिस्सा व लगान निर्धारित करवाने चाहते है, तद हेतु वाद नियोजन किया जा रहा है।

प्रतिवादीगण आपस में मिले हुए है, जो प्रश्नगत आराजीयात का विभाजन करवाये अंतरित प्रभारित करने एवं उक्त बाहमी विभाजन से इन्कार हो रहे है। प्रश्नगत आराजीयात पैत्रिक अविभाजित भूमियां है। पैत्रिक अविभाजित भूमियों को बिना विभाजन करवाये अंतरित प्रभारित कर खुर्द बुर्द करने एवं कदीम से हुए बाहमी विभाजन को इन्कार करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण यदि अपनी उक्त अवैध कार्यवाही में सफल हो जाते है, तब वादीगण के वैध विधिक साम्पतिक अधिकारों पर कुठारघात होकर वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी , जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में अन्यथा तौर पर संभव नहीं हो सकेगी। इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने के वैध अधिकारी है, तद हेतु भी वाद नियोजन किया जा रहा है।

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकि फरमाया जावे कि ग्राम डाबड़ी पटवार हल्का दीनवा लाडखानी की तन में भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 3.5800है., खसरा नम्बर 199 रकबा 0.7500है., खसरा नम्बर 339 रकबा 1.1400है., खसरा नम्बर 343 रकबा 1.0200है. कुल किता 4 रकबा 6.4900है. एवं खसरा नम्बर 142 रकबा 3.7200है. का बाहमी विभाजन अनुसार कानूनी बंटवारा किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 339 व 343 सम्पूर्ण की इकजाही भूमि समभाग में वादीगण के नाम एवं खसरा नं. 143 व 142 के 1.24है. अर्थात जो मौके पर एक इकाई में है, जिसमें से प्रतिवादीगण संख्या 01 को 1.8600है. व प्रतिवादीगण संख्या 2 को 1.8600है. एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 142 का 1.1066है. भूमि भाग एवं खसरा नम्बर 199 सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित करवायी जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण का उक्त हिस्सा राजस्व नक्शा ट्रेस से पृथक पृथक डिकी किया जाना प्रार्थनीय है।

मिसल मुर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 11, 12 की ओर से श्री मोहम्मद सलीम गौरी एड. एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 10, 13, 15, 17, 18 की ओर से श्री दिनेश नागोरा एड. ने वकालतनाम पेश किया व जवाब दावा व राजीनामा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 15, 17, 18 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर वाद पेश किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 15, 17, 18 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 142 हम उत्तरदातागण की पैत्रिक भूमि थी, जो विरासत में हम उत्तरदातागण के पूर्वज दुर्गा, पालीराम व प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 14 के पूर्वज सांवरा व अन्ना को विरासत में प्राप्त हुई। प्रतिवादीगण के उक्त पूर्वज सावंरा व अन्ना द्वारा प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 142 में से अपने हिस्से की 1.27है. भूमि भाग संयुक्त रूप से वादीगण के पिता इन्द्र सिंह को बैचान कर मौके पर भौतिक आधिपत्य सुपुर्द कर दिया था तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के उक्त पूर्वज सांवरा व अन्ना द्वारा प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 142 में से शेष 2.48है. भूमि भाग से अपना हक अपने भाई दुर्गा व पालीराम के हक में

त्याग कर दिया, तब से उक्त प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 142 में से शेष 2.48है. भूमि भाग पर दुर्गा व पालीराम अपने जीवनकाल तक तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार 2.48है. में से आनुपातिक आधे भाग पर संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 व शेष आधे भाग पर प्रतिवादीगण संख्या 18 काबिज काश्तकार चले आ रहे है। प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 14 कस उक्त 2.48है. भूमि भाग पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। इस भूमि की एवज में उक्त प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 14 के पूर्वजो द्वारा अन्य भूमि प्राप्त कर ली गई। खसरा नम्बर 142 के 2.48 है. भूमि भाग में से 1/2 भाग पर प्रतिवादी संख्या 15, 16 व 17 संयुक्त रूप से व शेष 1/2 भाग पर प्रतिवादी संख्या 18 काबिज काश्तकार चले आ रहे है और इसी अनुरूप अपनी खातेदारी उदघोषित करवाने के अधिकारी है, तद हेतु काउन्टर वाद पेश किया जा रहा है।

अतः काउन्टर वाद स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 3.72है. में से 2.48है. भूमि भाग में से आधी अर्थात 1/2 भूमि भाग में प्रतिवादीगण संख्या 15 व 16 को 1/4, प्रतिवादी संख्या 17 को 1/4 भाग एवं प्रतिवादी संख्या 18 को शेष आधी भूमि अर्थात 1/2 भाग का खातेदार काबिज काश्तकार उदघोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अंकित करवाया जाना प्रार्थनीय है।

वादीगण प्रतिवादी संख्या 15, 17 व 18 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जवाब पेश नहीं किया व प्रतिवादी संख्या 15, 17 व 18 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार हेतु निवेदन किया है। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, फतेहपुर को विभाजन प्रस्ताव हेतु भिजवायी गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से जरिये पत्रांक 1964 दिनांक 01.08.19 के विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। बहस वकुलाय फरीकेन पर मनन किया। वाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 15, 17 व 18 का काउन्टर वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर

अतः वाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 15, 17 व 18 का काउन्टर वाद डिक्री किया जाकर ग्राम डाबड़ी पटवार हल्का दीनवा लाडखानी की तन में भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 3.5800है., खसरा नम्बर 199 रकबा 0.7500है., खसरा नम्बर 339 रकबा 1.1400है., खसरा नम्बर 343 रकबा 1.0200है. कुल किता 4 रकबा 6.4900है. एवं खसरा नम्बर 142 रकबा 3.7200है.का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदारान	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	मनोहर सिंह बिशन सिंह कालू सिंह पुत्रगण रामकुमार सिंह जाति राजपूत सा. देह	142/1 142/3 199	1.07है. 0.04है. 0.75है.	बा.1 बा.1 बा.1	6.42 0.24 4.50
		किता3	1.86है.	बा.1	11.16
2	गिन्नीलाल पुत्र दुर्गा हि. 1/2 रूकमणी पत्नी स्व. आनन्दीलाल हि.1/4 सुरेश पुत्र स्व. आनन्दीलाल हि. 1/4 समस्त जाति ठठेरा सा. मण्डावा	142/4	1.24है.	बा.1	7.44
3	घनश्याम पुत्र पालीराम जाति ठठेरा सा. मण्डावा	142/5	1.24है.	बा.1	7.44
4	तेजपाल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत सा. देह	142/2 143/1 143/2	0.13है. 0.02है. 1.71है.	बा.1 बा.1 बा.1	0.78 0.12 10.26
		किता 3	1.86है.	बा.1	11.16
5	श्रीराम सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत सा. देह	143/3	1.85है.	बा.2 (0.22) बा.3 (1.16) बा.1 (0.47)	1.10 4.64 2.82
		किता1	1.85है.		8.56
6	जगदीश सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत सा. देह राहिन बीआरकेजीबी शाखा बेसवा	339/2	1.08है.	बा.1 (0.35) बा.2 (0.73)	2.10 3.65
		किता 1	1.08है.	—	5.75
7	कुन्दन सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत सा. देह	343 339/1	1.02 0.06	बा.1 बा.2	6.12 0.30
		किता 1	1.08है.		6.42

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। रहन खातेदारन बदस्तुर रहेगा। उक्तानुसार खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर

निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

पर्चा डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ऑ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालत उपखण्ड अधिकारी ______ मुकाम ____ फतेहपुर (सीकर)

इजलास ______ रेनु मीणा (आर.ए.एस.) ______

1. कुन्दन सिंह
2. जगदीश सिंह पुत्रगण इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.....वादीगण

<u>बनाम</u>

1. तेजपाल सिंह
2. श्रीराम सिंह
   पुत्रगण स्व0 इन्द्र सिंह
3. सुरज कंवर पत्नी स्व0 इन्द्र सिंह
4. मनोहर सिंह
5. बिशन सिंह
6. कालू सिंह
   पुत्रगण स्व0 रामकुमार सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम डाबड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर
7. कमला देवी
8. ज्योति
9. संतोष
   पुत्रियां स्व0 अन्ना
10. उच्छव पत्नी स्व0 संतरा
11. तेजपाल
12. प्रकाश
13. कालूराम
14. मुकेश कुमार
    पुत्रगण स्व0 संतरा
15. रूकमणी पत्नी स्व0 आनन्दीलाल
16. सुरेश पुत्र स्व0 आनन्दीलाल
17. गिन्नीलाल पुत्र स्व0 दुर्गा
18. घनश्याम पुत्र स्व0 पालीराम
    समस्त जाति ठठेरा निवासी मण्डावा जिला झुन्झुनू
19. तहसीलदार फतेहपुर
20. हल्का पटवारी दीनवालाडखानी

---प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर

वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 34 ....सन्...2019...

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे...व हाजिरी...श्री मुकेश भातरा एडवोकेट..........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.....श्री सलीम गौरी एड.. मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम डाबड़ी पटवार हल्का दीनवा लाडखानी की तन में भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 3.5800है., खसरा नम्बर 199 रकबा 0.7500है., खसरा नम्बर 339 रकबा 1.1400है., खसरा नम्बर 343 रकबा 1.0200है. कुल किता 4 रकबा 6.4900है. एवं खसरा नम्बर 142 रकबा 3.7200है.का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदारान	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	मनोहर सिंह बिशन सिंह कालू सिंह पुत्रगण रामकुमार सिंह जाति राजपूत सा. देह	142/1 142/3 199	1.07है. 0.04है. 0.75है.	बा.1 बा.1 बा.1	6.42 0.24 4.50
		किता3	1.86है.	बा.1	11.16
2	गिन्नीलाल पुत्र दुर्गा हि. 1/2 रूकमणी पत्नी स्व. आनन्दीलाल हि.1/4 सुरेश पुत्र स्व. आनन्दीलाल हि. 1/4 समस्त जाति ठठेरा सा. मण्डावा	142/4	1.24है.	बा.1	7.44
3	घनश्याम पुत्र पालीराम जाति ठठेरा सा. मण्डावा	142/5	1.24है.	बा.1	7.44
4	तेजपाल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत सा. देह	142/2 143/1 143/2	0.13है. 0.02है. 1.71है.	बा.1 बा.1 बा.1	0.78 0.12 10.26
		किता 3	1.86है.	बा.1	11.16
5	श्रीराम सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत सा. देह	143/3	1.85है.	बा.2 (0.22) बा.3 (1.16) बा.1 (0.47)	1.10 4.64 2.82
		किता1	1.85है.		8.56
6	जगदीश सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत सा. देह राहिन बीआरकेजीबी शाखा बेसवा	339/2	1.08है.	बा.1 (0.35) बा.2 (0.73)	2.10 3.65
		किता 1	1.08है.	–	5.75
7	कुन्दन सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत सा. देह	343 339/1	1.02 0.06	बा.1 बा.2	6.12 0.30
		किता 1	1.08है.		6.42

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। रहन खातेदारन बदस्तुर रहेगा। उक्तानुसार खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....21......माह ......अगस्त...........सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत.........................

ओहदा.........................उपखण्ड अधिकारी

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	2	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	–		मुतफरिक	–	
मीजान	3			3	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।